न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 116/2009 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

श्रीमती गंगादेई पुत्री नारायन पत्नी बोदाराम जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरप्यारी पत्नी धूपराम जाति धाकड निवासी लुहासा तहसील वैर।(मृतक)
2. सन्ता पत्नी रमेश पुत्री धूपराम जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
3. मंगली पत्नी रामबाबू पुत्री धूपराम(मृतक)
   - 3/1. चरन सिंह पुत्र रामबाबू
   - 3/2. इन्द्रा पुत्री रामबाबू पत्नी छोटू
   - 4. मीना पत्नी विशना पुत्री धूपराम
   - 5. लालवती पत्नी मुरारी पुत्री धूपराम

   } जाति धाकड निवासी वोदला आगरा (उ0प्र0)
6. दशरथ पुत्र नारायन जाति धाकड निवासी लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर।(मृतक)
   - 6/1. मुन्नी पुत्री दशरथ पत्नी दीनदयाल
   - 6/2. कुसुमा पुत्री दशरथ पत्नी गणेशी
   - 7. महाराज सिंह पुत्र दशरथ
   - 8. मवासी पुत्र भरोसी

   } जाति धाकड निवासी धाकरान चौराहा आगरा।
9. ओमप्रकाश पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति धाकड निवासी लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर।
   - 10. रमेशचन्द
   - 11. बन्ने सिंह
   - 12. सुरेश चन्द
   - 13. अशोक कुमार

   } पिसरान बद्री प्रसाद जाति धाकड निवासी लुहासा तह0 वैर जिला भरतपुर।
14. जोरमल पुत्र प्रहलाद जाति गूजर निवासी जहाज का बेडा लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर।
   - 14/1. धर्मो पत्नी स्व. श्री जोरमल
   - 14/2. गोविन्द
   - 14/3. भीम
   - 14/4. हरदयाल
   - 14/5. हरगुन
   - 14/5. पारो
   - 14/7. पप्पी
   - 14/8. हरवती

   } पुत्र जोरमल
   } पुत्रीयान जोरमल
   } जातियान गुर्जर निवासीयान जहाज का बेडा लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

15. रामकली पत्नी हीरालाल पुत्री नारायन जाति धाकड निवासी धाकरान चौराहा नई मण्डी आगरा(उ0प्र0)
   - 15/1. प्रहलाद
   - 15/2. पदम
   - 15/3. खिल्लो
   - 15/4. ज्ञानी
   - 15/5. मोतीलाल
   - 15/6. बृन्दा

   } पिसरान हीरालाल जाति धाकड निवासी धाकरान चौराहा नई मण्डी आगरा।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 22.09.2009 मि.नं. 229/06 उनवानी गंगादेई बनाम हरप्यारी।

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सुघड सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–26.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादिया द्वारा एक वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम जटपुरा में अपीलाण्ट/वादिया के पिता नारायन 02 बैल अर्थात 1/9 भाग का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी आजीवन रहा एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलाण्ट/वादिया अपने पिता की आराजी में 1/4 हिस्सा की व 1/4 हिस्सा की रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 15 रामकली खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं जो उनकी पैतृक व संयुक्त खातेदारी की भूमि है। किन्तु रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के पति/पिता तथा रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 06 दशरथ जो अपीलाण्ट/वादिया के सगे भाई हैं, ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजीयात को अपने नाम करा लिया। उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजीयात में से कुछ हिस्सा विक्रय भी कर दिया, जबकि उन्हें विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि अपीलाण्ट/वादिया विवादित आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। अतः रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये तमाम वयनामा अपीलाण्ट/वादिया के मुकाबले अवैध व शून्य हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण आये–दिन विवादित आराजी को लेकर अपीलाण्ट/वादिया से झगडा करते हैं एवं शेष विवादित आराजी को विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः रैस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वह मृतक नारायन की छोडी गई आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये समस्त वयनामा अपीलाण्ट/वादिया के मुकाबले अवैध, शून्य व प्रभावहीन हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन हो व रैस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जावें कि वे अपीलाण्ट/वादिया व प्रतिवादी संख्या 15 के हिस्से की आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मजाहमत नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाण्ट/वादिया एक पक्षीय, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल मन्सूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 के खाता संख्या 27, 28 व 17 में अपीलाण्ट के पिता का नाम अंकित है जो बिरासतन अपीलाण्ट को प्राप्त होनी चाहिए मगर रैस्पो0 ने चालाकी से राजस्व कर्मचारियों से साज करते हुए, अपीलाण्ट का नाम छोडकर अकेले अपने नाम खिलाफ कानून दर्ज करा लिया है और इसी आधार पर अपीलाण्ट का वाद डिक्री किये जाने योग्य था मगर लायक तहत अदालत ने अपीलाण्ट का वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है। रैस्पो0 ने जो खिलाफ कानून अपने हक में नामान्तकरण दर्ज करा कर जो वयनामा पंजीकृत कराये हैं उन्हें पंजीकृत कराये जाने कोई अधिकार ही नहीं था। उक्त वयनामा अपीलाण्ट के मुकाबले नल एण्ड बोईड हैं, जिन्हें शून्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र राजस्व न्यायालयो को ही प्राप्त है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ काननू अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल मंसूखी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1996 पेज 328, आर0आर0डी0 मई 2002 पेज 249 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2009 को अपास्त करते हुए, अपीलाण्ट का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। वक्त टीनेन्सी एक्ट विवादित आराजी पर रैस्पो0 धूपराम गैर मौरूसी दर्ज था एवं उसी अनुसार रैस्पो0 को खातेदारी प्राप्त हुई है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है एवं ना ही रैस्पो0 को उत्तराधिकार में मिली है। विवादित भूमि रैस्पो0 की स्वः अर्जित सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत 2011 में अंकित नारायण सिंह अपीलाण्ट व रैस्पो0 का पिता ना होकर कोई अन्य व्यक्ति है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 7,8,9 जमाबन्दी संवत 2011 में नारायन एवं धूपराम का नाम अंकित है। रैस्पो0 का वक्त बहस कथन है कि उक्त जमाबन्दी में अंकित नारायन सिंह अपीलाण्ट व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैस्पो0 का पिता ना होकर कोई अन्य व्यक्ति है। इस बिन्दू का समुचित परीक्षण आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण रैस्पो0 को अपना पक्ष रखनें का मौका नहीं मिला है। लिहाजा उक्त तथ्य का परीक्षण किया जाना वांछनीय हैं। अतः हम प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का मौका देते हुए, पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2009 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने का समय दिया जाकर, जवाब दावे के आधार पर तनकी गठन करते हुए, तनकीवार स्पष्ट आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटासा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official